(97)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 338–पीबीआर/1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 7–11–1998 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 111/अपील/1996–97

नाथूलाल पिता रामदास जी कौशल
निवासी ग्राम हरनियाखेड़ी बजरंगपुरा
तहसील महू म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

तहसीलदार तहसील कार्यालय महू .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/11/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 192/अ–6/1993–94 में रुपये 1,000/– का अर्थदण्ड आवेदक पर अधिरोपित किया गया जिसकी वसूली हेतु मॉग सूचना पत्र जारी किया गया । मॉग सूचना के विरूद्ध आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रतिवाद से सहमत होते हुये रुपये 1,000/– अर्थदण्ड एवं 5/– रुपये मॉग की फीस जमा कराने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम

अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–11–1996 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 7–11–1998 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाकर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्ष की ओर से सूचना उपरांत भी किसी के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से केवल यही आधार उठाया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना अभिलेख बुलाये आदेश पारित किया गया है जिससे आवेदक के विरूद्ध घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय यदि अभिलेख बुलाकर आदेश पारित करते तब निश्चित रूप से आवेदक को न्याय प्राप्त होता । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर वसूली की कार्यवाही भी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ प्रकरण में आवेदक के निगरानी मेमों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह प्रकरण मॉग सूची के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । जिस आदेश के द्वारा आवेदक पर जुर्माना लगाया गया है उसे चुनौती नहीं दी गई है । आवेदक अन्य प्रकरण का सहारा लेना चाहता है । अतः इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । इस संबंध में 2004 आरएन 370 में इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि –

> "धारा 50 – तीनों निचले न्यायालयों द्वारा तथ्यों के एक ही निष्कर्ष निकाले गये – उचित और वैध पाये गये – पुनरीक्षण अधिकारिता में हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।"

अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–11–1998 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर